



सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
चिन्वालीसौड़, उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीवारीखोल से जोखणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/19182/2016)

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र सं०-8बी/यू०सी०पी० / 06/78/2017/एफ०सी०/75, दिनांक 16.04.2019 एवं आपका पत्रांक-669/03एल०ए० दिनांक 04.06.2019।

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। शासनादेश में उल्लेखित शर्त सं०-1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुने क्षेत्रफल पर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के पत्र सं०-972/3-5-2 दिनांक 21.11.2017 में उल्लेखित निर्धारित दर के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित धनराशि तथा शर्त सं०-2 के अनुसार एन०पी०वी० के निर्धारित धनराशि निम्नानुसार (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी बिन्दुवार शर्तों की अनुपालन आंख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.50 हे०	3,06,531.00	10,72,859.00
2	एन०पी०वी०	1.75 हे०	इकोक्लास-V घनत्व-0.2 दर- 6,57,000.00	11,49,750.00

इसके अतिरिक्त आर०सी०सी० पिल्लरों के निर्माण हेतु संलग्न प्राक्कलन के अनुसार निर्धारित धनराशि रू० 17,86,000.00 का बैंक ड्राफ्ट/चैक अधोहस्ताक्षरी के नाम बनाकर इस कार्यालय को जमा करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- प्राक्कलन की छाया प्रति।

(Handwritten signature)

भवदीय
(Handwritten signature)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

(Handwritten signature)

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।